कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)।

(आपूर्ति शाखा)

(प्रेस–विज्ञप्ति संख्या 01/2017)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1222, दिनांक 08.03.2017 द्वारा संसूचित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 4453/2016 के सन्दर्भ में दिनांक 14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्तयों का रोस्टर के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निगर्त करने के लिए मसौढ़ी अनुमण्डल अन्तर्गत संबंधित पंचायत/वार्ड (नगर क्षेत्र में) में चिन्हित व्यापार स्थल हेतु कुल 20 बीस रिक्त दूकानों की नई नियुक्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

विभागीय पत्रांक 1571/खाद्य, दिनांक 28.03.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाना है। तद्आलोक में मसौढ़ी अनुमंडल अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की रिक्त दुकानों की नई अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 05.09.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन को विलोपित किया जाता है। वैसे आवेदक जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र अनुमंडल कार्यालय, मसौढ़ी में जमा कर चुके हैं, वे पुनः नये सिरे से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन पत्र जमा करेंगे। पूर्व के सभी आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं।

01 <u>आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्मः</u>– पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन–पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची–01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची–02 में अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के कार्यालय में दिनांक 10.08.2017 तक कार्यालय अवधि में निर्धारित कॉउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। जिस रिक्ति के विरूद्व आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। आवेदन प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

02 <u>आयु/शैक्षणिक योग्यताः</u>–

(क) न्युनतम आयु– 18 वर्ष ।
(ख) न्युनतम शैक्षणिक योग्यता– मैट्रिक पास।
(ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
(घ) कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी।
(ङ) समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जायेगो।
(च) समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगा।

03 <u>उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ (आरक्षण के प्रावधानान्तर्गत) :–</u>

(क) स्वयं सहायता समूह,

(ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ,

(ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ,

(घ) शिक्षित बेरोजार,

(ड.) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (नगर क्षेत्र) के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगो।

* स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहायोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएँ तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण क प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

04 <u>उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएंः</u>—

(क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

(ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

(ग) आटा—चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(ड.) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्वदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

(च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

05 <u>चयन प्रक्रियाः</u>— सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगें। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदको को मो0 1000/—(एक हजार) रूपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी—सह—अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

06 <u>आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथिः—</u> विहित प्रपत्र मे पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ दिनांक—10.08.2017 की संध्याः—05 बजे तक अनुमण्डल कार्यालय, मसौढ़ी (पटना) के निर्धारित कॉउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

07 <u>पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैः—</u>

क्रं0सं0	प्रखण्ड का ना	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	रिक्ति का आरक्षण कोटि
1	2	3	4	6
1	पुनपुन	केवड़ा	धरहरा	अनारक्षित
2		पोठही	सिकन्दपुर	अत्यन्त पि0वर्ग (क्षै0आ0महिला)
3		लखनपार	घुड़दौर	अनारक्षित
4		लखना पूर्वी	मुस्तफापुर	अनु0 जाति (क्षै0आ0महिला)
5	धनरूआ	नदवाँ	नदवाँ	अनारिक्षत (क्षै0आ0महिला)
6		साण्डा	साण्डा	पिछड़ा वर्ग
			अतरपुरा	आनारक्षित
7		मोरियावां	राढ़ा	अन्त्यन्त पि0 वर्ग
8		पभेड़ा	टड़वां	अनारक्षित
			सिरिया	पि0वर्ग की महि0
9		निमड़ा	हरला	अनारक्षित (क्षै0आ0महिला)
			हरला	अनुं0 जाति
10		छाती	धमौल	अनारक्षित
11		बहरामपुर	अमरपुर	अत्यन्त पि0 वर्ग
12	मसौढ़ी	शाहाबाद	शाहाबाद	अनारक्षित
13		बारा	खरौना	पि0 वर्ग (क्षै0आ0महिला)
			रौनिया	अनारिक्षत (क्षै0आ0महिला)
14		तिनेरी	बसौर	अनुं0 जाति
15		रेवां	रेवां	अनारक्षित
16		नदौल	बैरमचक	अत्यन्त पि0वर्ग (क्षै0आ0महिला)

नोटः—बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016, के अधीन उचित मूल्य की दुकान के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र अनुसूची—1 एवं अनुसूची—2 में वर्णित विन्दुओं से संबंधित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
मसौढ़ी, पटना।

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–27.07.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–4718 दिनांक–26.07.2017 द्वारा निर्गमादेश।

HINDUSTAN, PATNA
DAINIK BHASKAR, PATNA
SANMARG, PATNA